# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 38/2022 तारीख रजू:–23.09.2022

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2022/112

*पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह ( आर.ए.एस.)*

1. घासीलाल पुत्र सुवा
2. सत्यनारायण पुत्र सुवा
3. घनश्याम पुत्र रामकरण
4. दिनेश पुत्र बृजमोहन
5. पप्पूलाल पुत्र बृजमोहन
6. अशोक पुत्र बृजमोहन
7. दिलखुश पुत्र बृजमोहन
8. शांति पत्नि बृजमोहन
9. सुनीता पुत्री बृजमोहन

समस्त जातियान नाई, निवासीयान बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रार्थीगण

**बनाम**

1. रामेश्वर पुत्र धन्नालाल प्रजापत
2. पप्पूलाल पुत्र धन्नालाल प्रजापत
3. गोरधन पुत्र किशन सेन
4. सीतारा पुत्र किशना सेन
5. ओमप्रकाश पुत्र घनश्याम राणा
6. नरेन्द्र पुत्र घनश्याम राणा

निवासीयान बलरिया, तहसील, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

**उपस्थित::–**

**वकील प्रार्थीगण :–श्री हंसराज यादव, एडवोकेट**

**अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 :– श्री हरिराम प्रजापत एडवोकेट (जवाब बंद)**

**अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 6 :– एकपक्षीय कार्यवाही**

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय दिनांक 18.11.2025**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट**

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

❖ प्रार्थिगण ग्राम बलरिया, तहसील चौथ के बरवाड़ा के निवासी है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

❖ प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नंबर 227 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0.20 है0 एवं खसरा नंबर 229 रकबा 0.23 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है।

❖ खातेदार बृजमोहन पुत्र रामकरण नाई फोत हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 हैं।

❖ उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि एक ही स्थान पर है आपस में मिले हुए है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 227 के दक्षिण की ओर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की भूमि खसरा नम्बर 226 है एवं खसरा नम्बर 228 के पश्चिम की और अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की भूमि खसरा नम्बर 225 स्थित है। तथा खसरा नम्बर 229 के उत्तर की और अप्रार्थी संख्या 5 एवं 6 की भूमि खसरा नम्बर 229/3490 स्थित है। एवं अप्रार्थीगण थोकबन्द व भुमाफिया व्यक्ति है। एवं प्रार्थी की मेड को तोड़कर स्वंय के खेत में मिलाते रहते है। व मना करने पर लडाई झगडा करने को आमदा रहते है। जिससे प्रार्थी भयाकान्त हो जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते बरवाड़ा

❖ अप्रार्थी से भुजबल से सामना नहीं कर सकता अव्वल तो अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 227.228.229 पर काबिज होकर काश्त करने का अधिकार नहीं है। क्योकि उपरोक्त भूमि से उनका कोई वास्ता नही है।

❖ प्रार्थी ने स्वंय की खातेदारी की उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया एवं अप्रार्थीगण ने कानून हाथ में लेकर हल्का पटवारी द्वारा किये सीमाज्ञान के चिन्हो को उखाड़कर फेक दिया जिस पर प्रार्थी ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवाद प्रस्तुत किया उक्त परिवाद के निस्तारण के लिये हल्का पटवारी बलरिया एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 20.07.2022 को किया गया परन्तु अप्रार्थीगण उपरोक्त सीमाज्ञान की पालना नहीं कर रहे व बार बार शांति भंग करने का प्रयास कर रहे है।

❖ प्रार्थी इस सीमा विवाद को पत्थर मढी करवाकर ... करके समाप्त करना चाहता है। ताकि भविष्य में किसी ... तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में उपजी फसल सुरक्षित कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

❖ प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि सिरा नम्बर 227 रकबा 0.1100 है० गै.मु. खड्डा खसरा नम्बर 228 रकबा 0.2000 है० बारानी 3. खसरा नम्बर 229 रकबा 0.23 है० बारानी 3, कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है० वाके ग्राम बलरिया पटवार हल्का बलरिया

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर का सीमाज्ञा सीमाज्ञान पुलिस जाप्ता में करके पत्थरगढ़ी करवाई जावे, जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में विकास कार्य जैसे पुख्ता दीवार अथवा तार फेंसिंग करवा सके और अपनी भूमि की रक्षा कर सके।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 जवाब पेश नहीं करना चाहते थे, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का जवाब बंद किया गया।

4. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा इदायत पैरवी न होना जाहिर किये जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/694 दिनांक 08.07.2025 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

- प्रार्थीगण ग्राम बलरिया के निवासी हैं।
- मुताबिक जमाबंदी ग्राम बलरिया के खसरा नंबर 227/0.11, 228/0.20 एवं 229/0.23 अशोक, दिनेश, दिलखुश, पप्पूलाल पि. बृजमोहन, सुनिता पुत्री बृजमोहन, शान्ति देवी पत्नि स्व0 बृजमोहन हि.1/12, घासीलाल, सत्यनारायण पि0 सुवा, जसोदादेवी पत्नी स्व. सुवा, तुलसा पुत्री सुवा हि.1/2, रामकन्या पत्नि स्व. काल्या हि. 1/12, कैलाशी पुत्री रामकरण हि. 1/12 जाति नाई निवासी बलरिया के नाम खातेदारी दर्ज है।
- उक्त खसरा नम्बरान एक ही जगह पर स्थित है।
- ग्राम वासियान द्वारा खसरा नम्बर 227 पर रामेश्वर, पप्पू पि० धन्ना प्रजापत, खसरा नम्बर 228 पर गोरधन, सीताराम पि० किशना जाति नाई एवं खसरा नम्बर 229 पर ओमप्रकाश, नरेन्द्र पि. घनश्याम राणा निवासी बलरिया का कब्जा होना बताया गया है।
- प्रार्थीगणों द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 26.07.2022 को करवाया गया है।
- उक्त खसरा नम्बरान पर प्रार्थीगणों का कब्जा नहीं है।
- प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा

6. बंहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. स्थायी जमाबंदी दिनांक 11.07.2022 के खाता संख्या 662 के अनुसार खसरा नंबर 227/0.11, 228/0.20 एवं 229/0.23 अशोक, दिनेश, दिलखुश, पप्पूलाल पि. बृजमोहन, सुनिता पुत्री बृजमोहन, शान्ति देवी पत्नि स्व0 बृजमोहन हि.1/12, घासीलाल, सत्यनारायण पि0 सुवा, जसोदादेवी पत्नी स्व. सुवा, तुलसा पुत्री सुवा हि. 1/2, रामकन्या पत्नि स्व. काल्या हि. 1/12, कैलाशी पुत्री रामकरण हि. 1/12 जाति नाई निवासी बलरिया के नाम खातेदारी दर्ज है। परन्तु उक्त खसरा नंबरान पर प्रार्थीगणों का कब्जा नहीं है।

8. इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी के सम्पूर्ण भाग पर प्रार्थीगणों का कब्जा नहीं है। यदि प्रार्थीगणों को विवादित आराजीयात पर मात्र कब्जे को देखते हुए पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। रही बात कब्जे की तो प्राथीगण इस हेतु सक्षम न्यायालय में सुसंगत धाराओं में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–:आदेश:–**

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा की स्थायी जमाबंदी दिनांक 11.07.2022 के खाता संख्या 262 के खसरा नंबर 227 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 228 रकबा 0. 20 है0 एवं खसरा नंबर 229 रकबा 0.23 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 की उपभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.19 10:49:19 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा